(31)

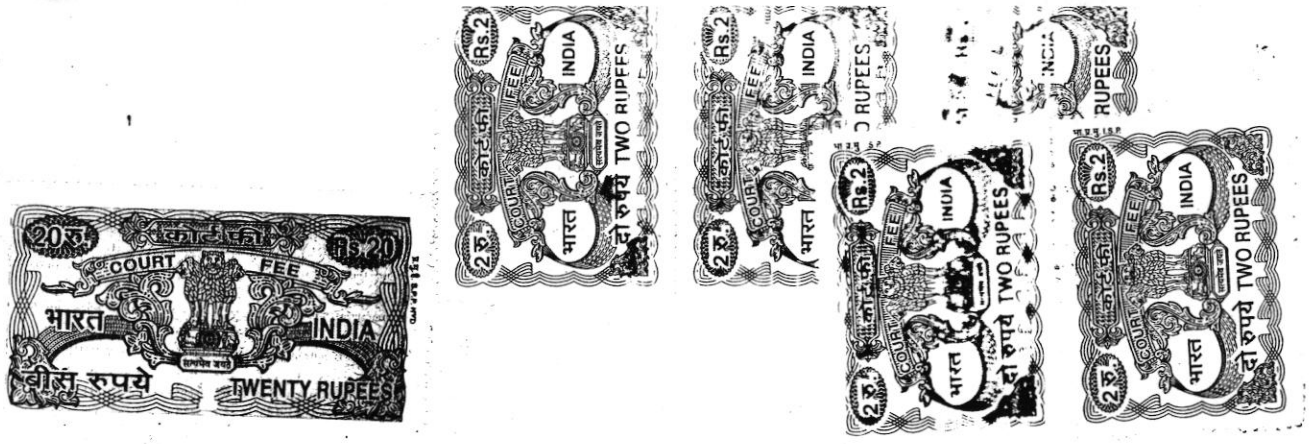

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–विदिशा

निगरानी-3341/2018/विदिशा/भू.रा

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 31.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 31.5.18

जय सिंह पुत्र श्री फूलसिंह कृषक
ग्राम ख्वाजा खेडी
निवासी – मुडरी तहसील बीना
जिला – सागर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

विजय सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
निवासी – मुडरी तहसील बीना
जिला – सागर (म.प्र.)
.......अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार कुरवाई/पठारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

Dchaturvedi 31/05/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम ख्वाजा खेडी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 75/1 रकवा 2.633 है0 के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 79/अ–12/2016–17 पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना दिये बिना जो कार्यवाही सीमांकन के संबंध में की गयी है वह विधिवत् नहीं है। अतः ऐसी तथा कथित सीमांकन कार्यवाही अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, उक्त तथा कथित सीमांकन कार्यवाही के पश्चात् अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदक के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3341/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। दर्ज दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	